# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 15/391

इनयतउल्ला आयु बालिग आत्मज श्री सखावत उल्ला जाति मुसलमान निवासी ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

**बनाम**

1. इशानउल्ला आत्मज समीउल्ला जाति मुसलमान ।
2. जिशानउल्ला आत्मज समीउल्ला जाति मुसलमान ।
3. इरफानउल्ला आत्मज समीउल्ला जाति मुसलमान निवासीगण अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. शाहिन पुत्री स्वर्गीय समीउल्ला जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. स्बीना पुत्री स्वर्गीय समीउल्ला जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमती कमरूनिशा बेवा स्वर्गीय समीउल्ला जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द्र नामाधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम लोधा की झोंपडियॉ तहसील हिण्डोली की आराजी कुल किता 04 कुल रकबा 25 बीघा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र खारिज करने एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मु0 अटल सेवा केन्द्र दबलाना में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराय और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति वाले प्रकरणों को ही निर्णित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जबकि राजस्व मण्डल व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों व नोटिफिकेशन की पूर्णतया अवहेलना करते हुए लोक अदालत की भावना से विपरीत जाकर पक्षकारों को अनावश्यक कानूनी पेचिदिगियों में उलझाते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादी अपीलान्ट ने धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि जिस पर एक सहखातेदार को दूसेर सहखातेदार के विरूद्ध जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान का 1/2–1/2 हिस्सा है और राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक पक्षकारान वादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से विभाजन कराने के अधिकारी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था । प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा